न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–701/2012(जीसीएमएस नं. 2012/00127)

1. जीतसिंह पुत्र श्री विशनसिंह जाति रायसिक्ख, ग्राम नवीनगर, तहसील तिजारा जिला अलवर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. जीतोबाई बेवा दर्शनसिंह जाति रायसिक्ख, निवासी ग्राम नवीनगर, हाल ग्राम पो. मोहा जिला गंगाहाजर हरियाणा।
2. तलबिन्द्रकौर उर्फ छिन्द्रकौर पुत्री दर्शनसिंह पत्नी स्वर्णसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम नवीनगर हाल ग्राम गुलाचीका तहसील गूला जिला कैथंल हरियाणा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री अतुल्य माथुर, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री जर्नादन शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 23/11/2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2008 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि मृतक विशनसिंह जो कि अपीलान्ट का पिता है, की आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 51 ऐयर वाके ग्राम नवीनगर में स्थित है, जो आराजी उसने खरीद की थी तथा उक्त आराजी उसकी स्वयं की अर्जित आराजी है तथा उक्त विशनसिंह के तीन अन्य पुत्रान और थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा जीवित पुत्र केवल मात्र अपीलान्ट ही था तथा अपीलान्ट ही अपने पिता विशनसिंह की सेवा करता था तथा उसने अपनी इच्छा से उक्त आराजी की वसीयत दिनांक 15.11.2000 को अपीलान्ट के हक में की तथा उस वसीयत करने का भी पूर्ण अधिकार था क्योंकि उक्त आराजी उसकी खुरीदशुदा आराजी थी। विशनसिंह का स्वर्गवास हो गया तथा उसके मरने के बाद अपीलान्ट ने दिनांक 31.12.2007 को वसीयत के आधार पर अपने हक में नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार तिजारा को दिया जिस पर तहसीलदार तिजारा ने जॉच करायी कि वसीयत सही है या नही एवं आराजी पर कब्जा है या नही तथा क्या यह आराजी विशनसिंह की खुरीदशुदा है। इन सभी बिन्दुओं पर जॉच करायी गई तथा नोटिस उज्रदारी दैनिक भास्कर अखबार में दिनांक 27.02.2008 को प्रकाशित कराया एवं विशनसिंह की खरीद बाबत बयनाम की प्रति भी प्राप्त की उसके बाद कोई उज्रदारी ना होने एवं पूर्णतया जांच कराने के बाद नामान्तरकरण संख्या 511

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के हक में दर्ज किया गया जिसके विरूद्ध दिनांक 29.05.2008 को मियाद बाहर अपील दायर की गई जो कतई गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की जबकि अपीलान्ट को नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व से ही थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नही किया। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नायब तहसीलदार तिजारा द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व विशनसिंह के बारे में पूर्ण जानकारी करायी गई तथा इस तथ्य की भी जानकारी करायी गई कि आराजी मृतक विशनसिंह की खुरीदशुदा यानि स्वयं अर्जित सम्पत्ति है और कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वयं अर्जित सम्पत्ति के बाबत वसीयत किसी के भी हक में करने का अधिकार है जिस संदर्भ में अन्य कोई व्यक्ति आक्षेप नही उठा सकता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई गौर नही किया। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व मृतक विशनसिंह की पत्नी तारोबाई के भी बयान दर्ज किये गये थे। जिसने भी यह कहा कि आराजी मृतक विशनसिंह की खरीदशुदा है तथा उसने वसीयत की है तथा इसके अलावा गवाह अमीचन्द जो वसीयतनामा का गवाह था, के भी बयान दर्ज किये गये जिसने भी यह कहा था कि विशनसिंह स्वयं ने अपनी इच्छानुसार वसीयत अपीलान्ट के हक में की है। इस प्रकार पूर्ण संतुष्ट होकर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी बिन्दुओं का पत्रावली पर होने के बावजूद भी गौर नही किया और नामान्तरकरण गलत तौर पर निरस्त किया है, जो निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट अपने ससुराल में रहती है तथा उनका उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा किसी प्रकार का नही रहा है तथा ना ही वो वसीतत के संदर्भ में आक्षेप उठाने का अधिकार रखती है क्योंकि उक्त आराजी पैतृक आराजी नही है तथा इस संदर्भ में विशनसिंह के खरीद बाबत बयनामा की प्रति पेश की गई है। जिस बाबत नायब तहसीलदार तिजारा ने पूर्ण जांच की है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय प्रतिप्रेषित किये जाने एवं पुनः वसीयत के सम्बन्ध में जांच किये जाने का कोई औचित्य ही नही है। जिन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2008 पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.08.2008 निरस्त किया जावें तथा नायब तहसीलदार तिजारा का निर्णय दिनांक 10.03.2008 बाबत नामान्तरकरण संख्या 511 दिनांक 05.04.2008 को यथावत रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.51 ऐयर वाके ग्राम नबीनगर तहसील तिजारा जिला अलवर का खातेदार काश्तकार बिशनसिंह पुत्र श्री जयमलसिंह था जिसका स्वर्गवास हो चुका है जिस बिशनसिंह के जायन्दा वारिस काबिज जायदाद रेस्पोडेन्ट और

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट है। रेस्पोडेन्ट्स बिशनसिंह के लडके दर्शानसिंह मृतक की विधवा एवं पुत्री है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व दो के पिता दर्शनसिंह का स्वर्गवास उसके पिता बिशनसिंह के जीवनकाल में ही हो गया था तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट प्रथम अनुसूची की सदस्य है और बिशनसिंह के स्वर्गवास उपरान्त उसकी विरासत में अपना हिस्सा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नैतिक एवं कानूनी रूप से प्राप्त करने की अधिकारी है लेकिन अपीलान्ट ने पटवारी हल्का एवं कर्मचारियान तहसील से साज–बाज कर नामान्तरकरण अपने हक में खिलाफ तथ्य, कानून, मौका करवाया था, जो निरस्तनीय ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया है कि मृतक बिशनसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत दिनांक 15.11.2000 को अपीलान्ट जीतसिंह के हक में नही की है तथा न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष जो वसीयतनामा दिनांक 15.11.2000 पेश किया गया है वह अनरजिस्टर्ड वसीयत है और विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरित है जो साक्ष्य में गृहण किये जाने योग्य नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के अधिकार बिशनसिंह की विरासत में समाप्त करने की नियत से अपने मेली व्यक्तियों से साज–बाज कर फर्जी व नुमाईशी वसीयतनामा तैयार किया गया है तथा न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा वसीयत की सत्यता के बारे में कोई जॉच नही की गई, ना ही अपीलान्ट ने वसीयतनामा के आधार पर प्रोबेट सक्षम न्यायालय से प्राप्त किया है। उन्हाने आगे कथन किया है कि न्यायालय नायब तहसलदार द्वारा वसीयत के गवाह अमीलाल के बयान लिये गये है जो अपीलान्ट का मैली व्यक्ति है और फर्जी व नुमाईशी वसीयत करने में सहयोग करता रहा है। अनरजिस्टर्ड वसीयत साक्ष्य, गृहण किये जाने योग्य नही है परन्तु न्यायालय नायब तहसीलदार ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य, के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए दिनांक 10.03.2008 को वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय ही थे तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2008 द्वारा मृतक बिशनसिंह के वारिसान की जॉच कर एवं उभयपक्ष को सुनकर पुनः नामान्तरकरण का विधि अनुसार निर्णय हेतु तहसीदार तिजारा को रिमाण्ड ही किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात पेश नही किये गये है जिससे भूमि विवादग्रस्त पैतृक होना साबित होता हो। वही दूसरी ओर वसीयतकर्ता बिशनसिंह द्वारा अपनी वसीयत में भूमि विवादग्रस्त की स्वअर्जित भूमि होना अंकित किया है एवं वसीयतकर्ता बिशनसिंह की पत्नी तारोबाई ने अपने बयानों में वसीयतकर्ता

P.T.O.

बिशनसिंह द्वारा ही उक्त वसीयत अपने पुत्र जीतसिंह के हक में दिनांक 15.11.2000 को लिखना स्वीकार किया है। वसीयत के गवाहन अमीलाल द्वारा भी वसीयत को सही होना अपने बयानादि में माना है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय हाजा या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत को अवैध या शून्य प्रभावी घोषित किया गया प्रतीत होता हो। ऐसी स्थिति में वसीयत के आधार पर नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.03.2008 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 511 दिनांक 05.04.2008 को निरस्त करने के ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध ही नही थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2008 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2008 को निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 511 वाके ग्राम नबीनगर दिनांक 05.04.2008 को बहाल किया जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23/11/23 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।